

समाहरणालय, बक्सर (सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

दूरभाष नं०-8544428509

Mail-sscbxr@gmail.com

आदेश

अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 721/आ० नि० को० दिनांक 26.06.2019 के आलोक में डॉ शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना का बक्सर जिला में दिनांक 26.07.2019 को दिव्यांगजन के हितार्थ आयोजित चलन्त न्यायालय (मोबाईल कोर्ट) व अन्य से संबंधित कार्यक्रम निम्न प्रकार है :-

क्र०	तिथि	समय	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1.	23.07.2019	07:00 पूर्वा० से 03:00 अप० तक	जिला में विभिन्न प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक	परिसदन बक्सर।	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बक्सर।
		04:00 बजे अप० से।	इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि के साथ सम्वाददाता सम्मेलन/प्रेस वार्ता।	परिसदन बक्सर।	जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर।
	24.07.2019	07:00 पूर्वा० से 10:00 पूर्वा० तक	जिला में बचे हुए प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक	परिसदन बक्सर।	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बक्सर।
2.	24.07.2019	10:00 से 12:00 बजे अप० तक	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) उपस्थिति :- 1. उप विकास आयुक्त, बक्सर। 2. अपर समाहर्ता, बक्सर। 3. अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर। 4. उप पुलिस अधीक्षक बक्सर (मुख्यालय) 5. असैनिक शल्य चिकित्सक	सभा कक्ष समाहरणालय बक्सर	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बक्सर।

			सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर।	
			6. श्रम अधीक्षक, बक्सर।	
			7. जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बक्सर।	
			8. जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर।	
			9. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/पथ प्रमंडल, बक्सर।	
			10. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (सर्व शिक्षा अभियान) बक्सर।	
			11. जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर।	
			12. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर।	
			13. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बक्सर।	
			14. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर।	
			15. जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर।	
			16. जिला अभियंता, जिला परिषद, बक्सर।	
			17. जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर।	
			18. जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	
			19. जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, बक्सर।	
			20. जिला खेल-कूद पदाधिकारी, बक्सर।	
			21. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बक्सर/अनु०लो०शि०नि० पदा० बक्सर एवं डुमरौव	
			22. जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, बक्सर।	
			23. निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बक्सर।	

			24. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर। 25. कारा अधीक्षक, बक्सर। 26. जिला उप निर्वाचन, पदाधिकारी, बक्सर। 27. भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर। 28. प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, बक्सर। 29. सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, बक्सर। 30. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बक्सर। 31. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला। 32. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर/डुमराँव। 33. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, बक्सर। 34. जिला प्रबंधक, जिविका।		
		12:00 बजे से 01:00 बजे अप0 तक	अपर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के प्रमुख थाना प्रभारी/विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक।	सभा कक्ष समाहरणालय बक्सर	इस बैठक के आयोजन हेतु पुलिस अधीक्षक, बक्सर अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही सभी संबंधित को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।
		01:00 से 02:00 तक।	विभिन्न कॉलेज/कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर।	सभा कक्ष समाहरणालय बक्सर	जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर।

			2. प्रधानाचार्य, के० के० एम० कॉलेज, बक्सर। 3. प्रधानाचार्य, एम०भी० कॉलेज, बक्सर। 4. प्रधानाचार्य, पी०सी०कॉलेज, बक्सर। 5. प्रधानाचार्य, एल०बी०टी० कॉलेज, बक्सर। 6. प्रधानाचार्य, डी०के०कॉलेज, डुमराँव। 7. प्रधानाचार्य, पोलिटेकनिक कॉलेज, बक्सर। 8. सभी आई० टी० आई० कॉलेज के प्राचार्य। 9. प्रभारी पदाधिकारी डी०आर०सी०सी० बक्सर।		
		02:00 से 3:00 तक।	लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. जिला बैंकिंग उप समाहर्ता, बक्सर। 2. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, बक्सर। 3. बक्सर जिला अंतर्गत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक।	सभा कक्ष समाहरणालय बक्सर	बैंकिंग उप समाहर्ता, पदाधिकारी, LDM बक्सर।
		03:00 से 4:00 तक।	लोकल लेवल कमिटी एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत कमिटी की बैठक	सभा कक्ष समाहरणालय बक्सर	सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
		04:00 से 05:00 तक।	रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मॉल का निरीक्षण। उपस्थिति :- 1. स्टेशन अधीक्षक/उपाधीक्षक, बक्सर। 2. स्टेशन अधीक्षक/उपाधीक्षक, डुमराँव 3. स्टेशन अधीक्षक/उपाधीक्षक, चौसा 4. जिला उद्योग पदाधिकारी,		अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव।

			बक्सर। 5. कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर/डुमराँव।		
3	25.07.2019	07:00 से 09:00 तक।	जिला में बचे हुए प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक	परिसदन बक्सर।	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बक्सर।
		09:00 बजे से 11:00 तक	सदर अस्पताल का निरीक्षण		असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर।
		11:00 बजे से 01 बजे तक	जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधि / बोर्ड प्रतिनिधि/सिविल सोसाईटी/ समाजसेवी के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर एवं डुमराँव। 2. नगर परिषद, बक्सर एवं डुमराँव अंतर्गत सभी पार्षद। 3. सभी प्रखंडों के प्रमुख। 4. प्रमुख पंचायत प्रतिनिधियों के साथ। 5. सचिव, रेड क्रॉस सोसाईटी, बक्सर। 6. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि।	डी0आर0सी0सी0 बक्सर।	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बक्सर। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर एवं डुमराँव संयुक्त रूप से।
		02:00 से 03:00 तक।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला तथा प्रखंड स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राईवेट एवं सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक (एडीवोकेसी बैठक) उपस्थिति :-	डी0आर0सी0सी0 बक्सर।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर।

			1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर। 2. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा), बक्सर जिला। 3. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर जिला। 4. सभी प्राईवेट एवं सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य।		
		03:00 से 04:00 बजे तक	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर एवं प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों के साथ बैठक।	डी0आर0सी0सी0 बक्सर।	असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर।
		03:00 से 04:00 बजे तक	डी0पी0ओ0, आई0सी0डी0एस0 सभी सी0डी0पी0ओ0 एवं ऑगनबाड़ी पर्यवेक्षिका	डी0आर0सी0सी0 बक्सर।	डी0पी0ओ0 आई0सी0डी0एस0
		04:00 से 05 बजे तक	स्वयंसेवकों, रेड क्रॉस, समावेशी शिक्षकों एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों के साथ बैठक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 वी0 के वोलेंटीयर्स के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक।	डी0आर0सी0सी0 बक्सर।	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर।
4.	26. 07. 2019	10:00 से 07:00 अंतिम निष्पादन तक	दिव्यांजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय। (लोक अदालत)	डी0आर0सी0सी0 बक्सर।	जिला प्रबंधक बुनियाद केन्द्र, बक्सर

राज्य आयुक्त निःशक्तता के उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्न प्रकार से निदेश दिये जाते हैं :-

1. जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर दिनांक 23.07.2019 को 4:00 बजे अप0 से परिसदन बक्सर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस हेतु जिलान्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के प्रतिनिधि को भाग लेने हेतु अनुरोध-पत्र अपने स्तर से निर्गत करेंगे तथा अपनी उपस्थिति में नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रेस कान्फ्रेंस सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. दिनांक 24.07.2019 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक सभा कक्ष समाहरणालय, बक्सर में आयोजित समीक्षात्मक बैठक हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी उनसे संबंधित प्रतिवेदन अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 721/आ0 नि0 को0 दिनांक 26.06.2019 (छाया

प्रति संलग्न)के अनुरूप वांछित प्रतिवेदन तैयार कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बक्सर को दिनांक 22.07.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ बैठक में भी भाग लेंगे।

3. दिनांक 24.07.2019 को 12:00 बजे से 01:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु पुलिस अधीक्षक, बक्सर अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे तथा पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव, सभी थानों के थाना प्रभारी को अपने स्तर से बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित करेंगे।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर दिनांक 24.07.2019 को 01:00 बजे से 02:00 बजे तक आयोजित बैठक में नोडल पदाधिकारी के रूप में सूचारु रूप से बैठक सम्पन्न करायेंगे।
5. जिला बैंकिंग उप समाहर्ता, बक्सर दिनांक 24.07.2019 को 02:00 बजे से 03:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, बक्सर के साथ समन्वय स्थापित कर सभी बैंको के शाखा प्रबंधक की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें अलग से पत्र भी निर्गत किया जाय।
6. अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव दिनांक 24.07.2019 को 04:00 बजे से 05:00 बजे तक उनके निरीक्षण के दौरान उनके वाहन के साथ भ्रमणशील रहेंगे। उनसे निदेश प्राप्त कर उनके निरीक्षण में आवश्यक सहयोग देंगे।
7. असेैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर दिनांक 25.07.2019 को 09:00 से 11:00 बजे पूर्वा० में सदर अस्पताल, बक्सर के निरीक्षण हेतु आवश्यक तैयारी पूर्व से पूर्ण कर लेंगे। साथ ही निरीक्षण में अपने स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
8. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बक्सर दिनांक 25.07.2019 को 11:00 बजे से 01:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से सभी प्रखंड प्रमुख को सूचना उपलब्ध करायेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर एवं डुमराँव अपने स्तर से सभी वार्ड पार्षद, बक्सर जिला को बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध-पत्र निर्गत करेंगे।
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर 25.07.2019 को 02:00 बजे से 03:00 बजे आयोजित बैठक को नोडल पदाधिकारी के रूप में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सभ कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापकों को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।
10. असेैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर दिनांक 25.07.2019 को 03:00 बजे से 04:00 बजे आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बक्सर जिला को भाग लेने हेतु निदेश देंगे। साथ ही नोडल पदाधिकारी के रूप में बैठक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर दिनांक 25.07.2019 को 03:00 बजे से 04:00 बजे तक आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी ऑगनवाडी पर्यवेक्षिका को अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित करेंगे।

12. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर से अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी० एल० वी० के वोलेंटीयर्स को दिनांक 25.07.2019 को 04:00 बजे से 05:00 बजे अप० में आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु निदेश देंगे।

13. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र स्वयं अपने सभी कर्मियों के साथ दिनांक 26.07.2019 को 10:00 बजे पूर्वा० से कार्यक्रम समाप्ति तक निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहेंगे।
उपरोक्त के अलावे जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से कर्तव्य निर्धारित किये जाते हैं :-

1. नजारत उप समाहर्ता, बक्सर :- भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि में जिला अतिथि गृह, बक्सर में उनके आवासन एवं भोजनादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। राज्य आयुक्त निःशक्तता दिनांक 23.07.2019 से 26.07.2019 तक जिला अतिथि गृह, बक्सर में रहेंगे। अतः 24 घंटे उनके साथ एक कार्यालय परिचारी की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः नजारत उप समाहर्ता के द्वारा तीन सिफ्टों में कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति 23.07.2019 से 26.07.2019 तक के लिए की जायेगी। तथा दिनांक **26.07.2019** को चलंत न्यायालय (डी०डी०आर०सी०) में तीन कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। जिनके द्वारा चलंत न्यायालय के कार्य में सहयोग किया जायेगा।
2. स्थापना उप समाहर्ता, बक्सर :-
(क) जिला अतिथि गृह, बक्सर में दिनांक 23.07.2019 से 26.07.2019 तक एक लिपिक, एक कार्यपालक सहायक एवं एक कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति कार्यालय अवधि में की जायेगी, जिनके द्वारा राज्य आयुक्त निःशक्तता के निदेशानुसार प्रतिवेदन आदि का संग्रहण किया जायेगा।
(ख) दिनांक **26.07.2019** को चलंत न्यायालय (डी०डी०आर०सी०) में 04 आशुलिपिक (डिक्टेशन प्राप्त करने तथा आदेश निर्गत करने हेतु) जिनके द्वारा चलंत न्यायालय के कार्य में सहयोग किया जायेगा।
3. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर को निदेश दिया जाता है कि चलंत न्यायालय में विधि-व्यवस्था हेतु संयुक्त आदेश निर्गत करने की व्यवस्था की जाय।
4. सिविल सर्जन, बक्सर दिनांक **26.07.2019** को लोक अदालत के दौरान दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु मनो चिकित्सक सहित जाँच दलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे।
5. सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी बक्सर दिनांक **23.07.2019** से दिनांक **26.07.2019** तक प्रति दिन लोक अदालत का प्रचार प्रसार स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, हैण्ड बिल के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा सी०डी०पी०ओ० के माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. राज्य आयुक्त निःशक्तता के लाईजेनिंग पदाधिकारी के रूप में श्रीमती नीलु कुमारी, जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, बक्सर को राज्य आयुक्त, निःशक्तता बिहार के बक्सर जिला आगमन से उनके प्रस्थान करने तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।
8. बक्सर जिलान्तर्गत सभी कार्यालयों के कार्यालय प्रधान चलन्त न्यायालय की तिथि को ससमय चलन्त न्यायालय में उपस्थित रहेंगे एवं प्राप्त होने वाले शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक : - अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 721/आ0 नि0 को0 दिनांक 26.06.2019 (छाया प्रति संलग्न)।


 जिला पदाधिकारी
 बक्सर

ज्ञापांक - 17-33/सा0 सु0 दिनांक - 12/07/2019

1. बक्सर जिला अन्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के पत्रकारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/श्रम अधीक्षक, बक्सर/जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बक्सर/जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/पथ प्रमंडल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बक्सर/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बक्सर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर/जिला अभियंता, जिला परिषद, बक्सर/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर/जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर/जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, बक्सर/जिला खेल कूद पदाधिकारी, बक्सर/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर/जिला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, बक्सर/निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बक्सर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 बक्सर/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर/कारा अधीक्षक, बक्सर/उप निर्वाचन पदाधिकारी,

बक्सर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर एवं डुमरौव/प्रभारी पदाधिकारी, जिला बैंकिंग शाखा, बक्सर/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बक्सर जिला प्रबंधक, जिविका, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 721/आ0 नि0 को0 दिनांक 26.06.2019 (छाया प्रति संलग्न) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 721/आ0 नि0 को0 दिनांक 26.06.2019 (छाया प्रति संलग्न) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
6. नजारत उप समाहर्ता, बक्सर एवं स्थापना उप समाहर्ता, बक्सर को निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बक्सर को प्रतिवेदित करेंगे।
7. अपर समाहर्ता, बक्सर/उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथि को राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के लिए स्कॉट, अंगरक्षक एवं होम सुरक्षा के साथ-साथ दिनांक 26.07.2019 को चलन्त न्यायालय के स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुरुष एवं महिला बल की व्यवस्था करने की कृपा की जाय।
9. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर को सूचनार्थ। अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 भी0 के भोलेनटीयरस के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक के लिए समुचित कार्रवाई अपने स्तर से करने की कृपा की जाय।
10. सचिव, रेड क्रॉस सोसाईटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
11. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।
12. आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
13. राज्य आयुक्त, निःशक्तता को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
14. निदेशक, दिव्यांगता सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

R. J. Singh
12/06/19

जिला पदाधिकारी
बक्सर